झारखण्ड सरकार

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर

(गोपनीय शाखा)

दुरभाष सं0:–06432-232680 फैक्स–06432-232967 ई–मेलः– dcdeoghar@gmail.com

पत्रांक :–...469.../गो०, दिनांकः–...14...वीं अप्रैल, 2020 ई०

प्रेषक,

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
देवघर।

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी,
देवघर एवं मधुपुर।

विषय :– राहत सामग्री हेतु गलत दावा पेश करने वाले के विरूद्ध कार्रवाई के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि कोरोना वायरस (COVID-19) को विश्वव्यापी महामारी की घोषणा के पश्चात सम्पूर्ण तालाबन्दी (Lockdown) के दौरान कई प्रकार के राहत प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा घोषणाऐं की गई है। ऐसे कई दृष्टांत सामने आते है जिसमें आपदा राहत के लिए निर्धारित अर्हता नहीं रखने वाले व्यक्ति भी अपना दावा संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर देते है, जिससे सही लाभुकों को लाभ नहीं प्राप्त हो पाता है।

इस संदर्भ में इस प्रकार के गलत दावे को प्रस्तुत करने वाले के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई का प्रावधान Disaster Management Act, 2005 की धारा 52 में की गई है, जिसका उद्धरण निम्नप्रकार हैः–

"**52. Punishment for False Claim** - Whoever knowingly makes a claim which he knows or has reason to beleive to be false for obtaining any relief, assistance, repair, reconstruction or other benefits consequent to disaster from any officer of the Central Government, The State Government, The National Authority, the State Authority or the District Authority, shall, on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, and also with fine."

इस प्रकार स्पष्ट है कि गलत दावा पेश करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध उपरोक्त अधिनियम के तहत दो वर्ष तक की सजा या अर्थदण्ड का प्रावधान किया गया है।

अतः आमजन से अपील की जाय कि जो निर्धारित अर्हता धारक नहीं हो वे राहत प्राप्ति के लिए गलत तरीके से अपना दावा प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं करें अन्यथा जाँचोपरान्त दोषी पाये जाने पर प्रस्तुतकर्त्ता के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी, जिसके लिए वे स्वयं पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।

विश्वासभाजन,

14/4/2020

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
देवघर